कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर

क्र. प्रशा–14/आयकर/2020–21/का.आ./

दिनांक 25/9/200

कार्यालय आदेश

विषयः— वित्तीय वर्ष 2020–21 के आयकर का विवरण पत्रक प्रस्तुत करने बावत्।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा—प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर में कार्यरत समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष 2020—21 के लिए अपनी आय, बचत एवं निवेश का सम्पूर्ण विवरण (PAN कार्ड की छायाप्रति के साथ) निर्धारित प्रारुप (संलग्न) में दिनांक 15 / 10 / 2020 तक अनुभाग प्रशासन-14 में अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को अपनी आय एवं बचत का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है साथ ही उनके द्वारा यह भी सूचित किया जावे कि वे आयकर की पुरानी गणना पद्धति के अंर्तगत अथवा नवीन गणना पद्धति (New tax regime or old tax regime) के अंर्तगत आयकर का भुगतान करना चाहते हैं । निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त विवरणी पर विचार नहीं किया जायेगा एवं कार्यालय के अभिलेख के अनुसार आयकर की गणना कर आयकर का कटौत्रा कर लिया जायेगा।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रभारी समूह मुख्यालय), दौरे पर चल रहे लेखापरीक्षा दलों का अपनी आय, बचत एवं निवेश का सम्पूर्ण विवरण अनुभाग प्रशासन–14 में निर्धारित तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने की व्यवस्था करें ।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेश दिनांक 22.09.20202)

हस्ता./— वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन—14

Ари 25 wild

- 1. उप महालेखाकार / प्रशासन
- 2. उप महालेखाकार / ए.एम.जी.-1
- 3. उप महालेखाकार / ए.एम.जी.-2
- 4. उप महालेखाकार / ए.एम.जी.-3
- 5. उप महालेखाकार / ए.एम.जी.-5
- 6. सचिव, प्रधान महालेखाकार एवं वरि. ले.प.अ. / आई.टी.ए.
- 7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / रिपोर्ट, ई.सी.पी.ए.
- वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन, लीगल सैल, कार्यपालन शाखा, आई.एस. एवं डी.ए.सी., फाप, फास (विविध)
- 9. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी.–1 (मुख्यालय), ओ.ए.डी. (एम), ओ.ए.डी.–11, ओ.ए.डी.–21, ए.एम.जी.–4 (मुख्यालय),
- 10. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.एस. एवं डी.ए.सी. को इन्ट्रानेट एवं वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु

11.सूचना पटल ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन-14

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN GWALIOR

Details of estimated Income and Savings for the purpose of Income Tax for the financial year 2020-2021 (Assessment Year 2021-2022)

I, hereby opt Old slab/New slab of income tax for the purpose of Income tax for the financial year 2020-21 (Assessment Year 2021-22).

| 1. | Nan | e and Designation | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2. | | nanent number | | | | | | |
| 3. | Sect | ion/ Branch / Group where working | | | | | | |
| 4. | Permanent Account Number | | | | | | | |
| | <u>(All</u> | otted by tax authorities) "MUST" | AND TAX PAVABLE THERE ON | | | | | |
| CO | (Allotted by tax authorities) "MUST COMPUTATION OF TOTAL INCOME (TAXABLE INCOME) AND TAX PAYABLE THERE ON | | | | | | | |
| 5. | (a) | Salary (Pay + DA,), Tr. Allowance, CASH AWARD, Arre Reimbursement of tuition fee, OTA, Honorarium etc. | ars, | | | | | |
| | (b) | House Rent Allowance | | | | | | |
| | (c) | Perquisites | | | | | | |
| | (d) | | | | | | | |
| Gro | Gross Salary : Total (5 (a)+(b)+(c)+(d)) | | | | | | | |
| 6. | | Less: Exemption of HRA U/S 10(13A) [Rent receipt along with PAN number of land lord should be attached] | | | | | | |
| | I | HRA Received during the relevant period | | | | | | |
| | П | Rent Paid during the relevant period in excess of 10 per ce (i.e. Pay+ DA) | nt of salary | | | | | |
| | ш | 40 per cent of Salary (i.e. Pay + DA) | | | | | | |
| | Le | ast of the above three (I, II, III) | | | | | | |
| 7. | | Less: Standard Deductions from Salary | 50,000 | | | | | |
| 8. | | Less: Deductions from Salary Professional Tax U/S 16 (iii |) | | | | | |
| 9. | | Income from Salary [$(5) - (6) - (7) - (8)$] | | | | | | |
| 10 | | Income from any other head of income e. g | any other head of income e. g | | | | | |
| | (a) | Income/ Loss from house property (Please furnish statemer computation of Income/Loss under this head) | nt of | | | | | |
| | (b) | Capital Gain | | | | | | |
| | (c) | Income from other sources | | | | | | |
| Total $[10 (a) + 10(b) + 10(c)]$ | | | | | | | | |
| 11 | | Gross Total income [Column (9) + (10)] | | | | | | |
| | | | | | | | | |

^{Ψ} Mention of Permanent Account Number (PAN) in TDS certificates (Form 16) has been made mandatory under the IT Act. Hence it is to be ensured by each and every employee that PAN is invariably furnished together with other details

| 12 | | Less: Deductions under Ch. VI A | | |
|------|---|--|---|--|
| 1 | | U/S 80 C | _ | |
| | a | GPF | - | |
| | b | CGEGIS | | |
| | c | PPF | | |
| | d | LIP | | |
| | e | NSCS | | |
| | f | Subscription to National Housing Bank etc | | |
| | g | Repayment of HB Loan Principal | | |
| | h | Tuition Fees | | |
| | i | Mutual Fund | | |
| | j | Other /PPF | | |
| | | Total ((a) to (j)) | | |
| П | | U/S 80 CCC | | |
| ш | | U/S 80 CCD 1 (New Pension Scheme self-contribution) | | |
| IV | | Aggregate amount of deduction U/S 80 C, 80 CCC and 80 CCD1 (Restricted to Rs.1,50,000 U/S 80 CCE) | | |
| v | | 80CCD2 (GOVT. CONTRIBUTION) | | |
| | | U/S 80CCD 1B – Contribution towards National Pension Scheme (up to Rs 50,000) | | |
| VI | | Mediclaim U/S 80 D (up to 25000) | | |
| VII | | Handicapped dependent U/S 80 DD (up to 75000/1,25,000) | | |
| VIII | | Under Section 80 G | | |
| IX | | Handicapped Employee U/S 80 U (up to RS 75000/1,25000-) | | |
| x | | Any other section | | |
| 13 | | Aggregate amount of deduction [(IV) +(V)+(VI)+(VII)+(VIII)] | | |
| 14 | | Total Taxable income rounded off to nearest multiple of ten rupees) (11-13) | | |
| 15 | | Income Tax | | |
| 16 | | Education Cess 4% of Income Tax | | |
| 17 | | Total Tax Payable | | |
| 18 | | Relief U/S 89 (I) if any (attach details) | | |
| 19 | | Net Income Tax | | |

Place: Date:

Signature of Government Servant Mobile No.

P

Rate of Income Tax

| Tax Rates (as per old tax regime) | Tax Rates (as per New tax regime) Nil | |
|-----------------------------------|--|--|
| Nil | | |
| 5% | 5% | |
| 20% | 10% | |
| 20% | 15% | |
| 30% | 20% | |
| 30% | 25% | |
| 30% | 30% | |
| | Nil 5% 20% 20% 30% 30% | |

Note:- Deductions under Section 80 CCD (2) can only be claimed under New Tax regime. The New tax regime does not allow the taxpayer to avail certain specified deduction such as House Rent allowance, Standard deduction, deduction for entertainment allowance and professional tax, interest under section 24 in r/o self-occupied or vacant property, deductions under various section of Chapter VI-A etc.